राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.19(3)राज-6/2002 /14 जयपुर दिनांक 22.7.2004

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- निजी विद्यालय को भूमि का संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम 2(बी) के अन्तर्गत वाणिज्यक प्रयोजनार्थ मानने बाबत

महोदय,

जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि निजी विद्यालय का संपरिवर्तन लोकोपयोगी मानकर निशुल्क किया जावे या ग्रामीण क्षेत्रों के नियम 1992 के नियम 2(बी) के अन्तर्गत वाणिज्यक प्रयोजन मानकर किया जावे । इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नियम 1992 के नियम(2एन) के अन्तर्गत लोकोपयोगी प्रयोजन की परिभाषा में बताये विद्यालय, महा विद्यालय से तात्पर्य सरकारी विद्यालय / महा विद्यालय से है चूंकि निजी शिक्षा संस्था का उद्देश्य इससे लाभ कमाना होता है इसलिए उनकी भूमि का संपरिवर्तन वाणिज्यक प्रयोजन मानते हुए किया जावे । अगर पूर्व में गलती से निजी शिक्षण संस्था से कन्वर्जन चार्ज नही लिया गया हो तो अब लिये जावे ताकि आडिट पैरा न बने ।

उप शासन सचिव